पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रा. का. अधि. की धारा 251 A का अध्ययन कर मनन किया गया।

3/1/20

अंतत: न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी नेतराम एवं अप्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि के कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत रास्ता स्वीकृत किया जाना आत्यान्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुतम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक

Scanned by CamScanner

उपभोग के लिए न होने के कारण समीचीन है।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क रा. का. अधिनियम, 1955 को स्वीकार कर चक 12 ए (ए) तहसील अनूपगढ़ के मु. नं. 32 प. नं. 284/464 के किला नं. 13, 18, 23 प्रत्येक में से 1¼ बिस्वा चौड़ा (किला नं. 14, 17, 24 से चिपता हुआ) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 2 जीतसिंह ने स्वयं की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किए जाने की स्थिति में रास्ते में आने वाली भूमि के एवज में कोई प्रतिकर राशि या भूमि नहीं लेने के आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, अतः उसे रास्ते के बदले कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

उक्त आदेश केवल तभी निष्पादित किया जावेगा जब अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी द्वारा रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर दे दिया जावे। अथवा तहसील कार्यालय में जमा करवा दिया जावे। तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाई संपादित करेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जावेगा।

पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

3/1/2020

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.01.24 16:47:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: